UPLK010203122019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

<u>विशेष परीक्षण सं0 423/2019</u>

सरकार **बनाम** निर्मल यादव आदि

अ0सं0 373/2019
धारा—352,325,323,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)द,ध एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट
थाना—पारा, लखनऊ।

<u>08—01—2026</u>

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण निर्मल यादव व विमल यादव न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्तगण के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 352, 323, 325, 504, 506 भा0द0सं0 एवं धारा 3(1)द, ध, एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 28.02.2026 को पेश हो।

(हुसैन अहमद अंसारी)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010203122019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

विशेष परीक्षण सं0 423/2019

सरकार **बनाम** निर्मल यादव आदि

अ0सं0 373/2019
धारा–352,323,325,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)द,ध एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट
थाना–पारा, लखनऊ।

आरोप

मैं, हुसैन अहमद अंसारी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण निर्मल यादव व विमल यादव को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथमः यह कि दिनांक 27.05.2019 समय अदम तहरीर थाना पारा जिला लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम सलेमपुर पतौरा में आप अभियुक्तगण निर्मल यादव व विमल यादव द्वारा वादी दीपक कुमार उर्फ भैरो गौतम पर आपराधिक बल का प्रयोग किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 352 के अन्तर्गत दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण निर्मल यादव व विमल यादव द्वारा वादी दीपक कुमार उर्फ भैरो गौतम को मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण निर्मल यादव व विमल यादव द्वारा वादी दीपक कुमार उर्फ भैरो गौतम को मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण निर्मल यादव व विमल यादव द्वारा वादी दीपक कुमार उर्फ भैरो गौतम को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचमः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर अभियुक्तगण निर्मल यादव व विमल यादव द्वारा वादी दीपक कुमार उर्फ भैरो गौतम को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506

के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

षष्टम:::यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर अभियुक्तगण निर्मल यादव व विमल यादव द्वारा वादी दीपक कुमार उर्फ भैरो गौतम को अनुसूचित जाति का सदस्य जानते हुए लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)द के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

सप्तम:यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर अभियुक्तगण निर्मल यादव व विमल यादव द्वारा वादी दीपक कुमार उर्फ भैरो गौतम जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(हुसैन अहमद अंसारी)
दिनांकः 08–01–2026 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड–यू0पी06158

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(हुसैन अहमद अंसारी)
दिनांकः 08–01–2026 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड–यू0पी06158